पत्र संख्या–6 / योजना–01–04 / 2014 गृ0आ0....................... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषयः– **विशेष आधारभूत संरचना (SIS) योजनान्तर्गत वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुकाबला करने के लिए विशेष कार्य बल (STF) के उन्नयन हेतु बल के प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासन आदि का निर्माण दो भाग में यानी प्रथम भाग में मुख्य प्रशासनिक एवं निरीक्षण भवन तथा दूसरे भाग में आवासीय भवन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य के लिए केन्द्रांश की राशि ₹ 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख रू0) एवं राज्यांश की राशि ₹ 134.76 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख छिहत्तर हजार रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–4991, दिनांक–19.06.2014 द्वारा विशेष आधारभूत संरचना (SIS) योजनान्तर्गत वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुकाबला करने के लिए विशेष कार्य बल (STF) के उन्नयन हेतु बल के प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासन आदि का निर्माण दो भाग में यानी प्रथम भाग में मुख्य प्रशासनिक एवं निरीक्षण भवन तथा दूसरे भाग में आवासीय भवन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य की लागत राशि कुल ₹ 51,93,18,000 (इकावन करोड़ तीरानवे लाख अठारह हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश की राशि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–6721, दिनांक–12.08.2014 द्वारा ₹ 15,05,69,847 (पन्द्रह करोड़ पाँच लाख उनहत्तर हजार आठ सौ सैंतालीस रू0) विमुक्त किया गया है, जिसका राज्यांश ₹ 5,01,89,949 (पाँच करोड़ एक लाख नवासी हजार नौ सौ उनचास रू0) गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–6722, दिनांक–12.08.2014 एवं गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–4991, दिनांक–19.06.2014 द्वारा विमुक्त किया जा चुका है।

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए ₹ 404.29 लाख (चार करोड़ चार लाख उनतीस हजार रू0) केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किया गया है जिसके समतुल्य राज्यांश की राशि ₹ 134.76 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख छिहत्तर हजार रू0) है। उक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 404.29 लाख (चार करोड़ चार लाख उनतीस हजार रू0) में से ₹ 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख रू0) एवं राज्यांश की राशि ₹ 134.76 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख छिहत्तर हजार रू0) का द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कराया गया है।

3. उपर्युक्त के आलोक में विशेष आधारभूत संरचना (SIS) योजनान्तर्गत वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुकाबला करने के लिए विशेष कार्य बल (STF) के उन्नयन हेतु बल के प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासन आदि का निर्माण दो भाग में यानी प्रथम भाग में मुख्य प्रशासनिक एवं निरीक्षण भवन तथा दूसरे भाग में आवासीय भवन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख रू0) एवं केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की राशि ₹ 134.76 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख छिहत्तर हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या—22 के बजट शीर्ष—''4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—051—निर्माण— उपशीर्ष—0204—पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम विपत्र कोड—P4055000510204 एवं विषयशीर्ष—53 01—मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उक्त विमुक्त राज्यांश की राशि ₹ 134.76 लाख (एक करोड़ चौतीस लाख छिहत्तर हजार रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या—22 के बजट शीर्ष —''4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—051—निर्माण—उपशीर्ष—0304—पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम विपत्र कोड—P4055000510304 एवं विषयशीर्ष—53 01—मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी

7. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

9. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

12. उपयोगिता प्रमाण—पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/—
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0 :—6/योजना—01—04/2014गृ0आ0 45 /पटना, दिनांक 04 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.1.16

सरकार के प्रधान सचिव